बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

पत्रांक– 8 बजट (1) 29/2025...15/(नि0)...आ० **दिनांक**– ...19/02.../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा0प्र0से0
निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में

चारा विकास पदाधिकारी
बिहार, पटना।

विषय ः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं0 02, राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 107 चारा तथा चारागाह विकास, 0103 चारा अधिकोष की स्थापना, विपत्र कोड 02–2403001070103 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹32,01,800/– (बत्तीस लाख एक हजार आठ सौ) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 4086 दिनांक 12.09.2025 के आलोक में पशुपालन निदेशालय के आवंटनादेश संख्या 97 (नि0) आ0 दिनांक 31.10.2025 के क्रम में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹32,01,800/– (बत्तीस लाख एक हजार आठ सौ) मात्र आवंटित किये जाते है।

क्र0 सं0	विषय शीर्ष	आवंटित राशि (रूपये में)		
		पूर्व का आवंटन	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन
1	2	3	4	5
1	13.01 –कार्यालय व्यय	3,25,000	1,75,000	5,00,000
2	21.01– सामग्री एवं पूर्तियाँ	8,30,700	4,47,300	12,78,000
3	26.01–विज्ञापन और प्रकाशन	2,92,500	1,57,500	4,50,000
4	27.01– लघु कार्य	32,50,000	17,50,000	50,00,000
5	28.02– संविदा सेवायें	12,48,000	6,72,000	19,20,000
योग 02–2403.00.107.0103		**59,46,200**	**32,01,800**	**91,48,000**

बत्तीस लाख एक हजार आठ सौ मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग सं०–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, राज्य स्कीम, 107 चारा तथा चारागाह विकास, 0103 चारा अधिकोष की स्थापना, विपत्र कोड–02–2403001070103 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम अन्तर्गत चारा विकास की योजना के तहत चारा उत्पादन एवं प्रत्यक्षण की योजना के लिए दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि० दिनांक 28.03.2025 एवं 235/वि० दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग –1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 29/2025....151(नि0)..... आ०/ पटना–15, दिनांक...19.../...02.../2026

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या–टी0ए0–57–96–97–प0पा0–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा–09/योजना शाखा–10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।